मंत्रिमंडल की संविदा कर्मियों की तैनाती नीति में संशोधन की मंजूरी

में हटा दिया गया है। तदनुसार नीति से सामाजिक-आर्थिक मानदंडों और अनुभव के सभी संदर्भों को हटा दिया गया है। आज का निर्णय भारत और विदेश दोनों में, निजी क्षेत्रों में एचकेआरएनएल के माध्यम से की जाने वाली कर्मियों की तैनाती पर भी लागू होगी। निगम राज्य में उद्यमिता को बढावा देने के लिए पंजीकत Visit Website "SarkariJob.in" आवेदकों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। लेवल-1 जॉब रोल के लिए अधिकतम आयु सीमा 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई है, जो ग्रुप डी कर्मचारियों के बराबर है। आरक्षण रोस्टर अब जॉब रोल की बजाय राज्य स्तर पर इंडेंट वाइज और

सवेरा ब्यूरो चंडीगढ़, 5 मई : मंत्रिमंडल की

बैठक में समय-समय पर संशोधित संविदा कर्मियों की तैनाती नीति 2022 (डिप्लॉइमेंट ऑफ कन्टैक्नूअल पर्सनज पॉलिसी 2022) में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई। संशोधनों के अनुसार हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (एचकेआरएनएल) द्वारा लगाए गए जुर्माने से संबंधित प्रावधान को हटा दिया गया है। इन प्रावधानों को रद्द करने के उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में सामाजिक-आर्थिक मानदंडों और अनुभव के लिए वेटेज संबंधित प्रावधानों को भी



नौकरी के स्तर के अनुसार तैयार किया जाएगा। निगम उम्मीदवारों को किसी संगठन में भेजने से पहले सॉफ्ट स्किल्स में प्री-डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रदान करेगा। नीति के तहत स्वेच्छा से इस्तीफा देने वाले उम्मीदवारों को भविष्य में विचार से बाहर रखने के लिए आवश्यक प्रावधान भी किए गए हैं। लेवल-1 पर पहले से तैनात कर्मचारियों को उच्च-स्तरीय नौकरी में जाने की अनुमति दी जाएगी। बशर्ते वे पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों। अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए सक्षम प्राधिकारी अब हरियाणा के मुख्य सचिव (एचआरडी में) होंगे।

कैबिनेट के फैसले • एआई योजना पर 474 करोड़ होंगे रार्च कच्ची नौकरियों में भी अनुभव के अंकों का लाभ नहीं मिलेगा

शहीद की पत्नी को आवासीय प्लॉट मिलेगा फरीदाबाद के गांव अयली निवासी शहीद नायक संदीप की पत्नी गीता को 200 वर्ग गज का आवासीय प्लाट देने के ग्राम पंचायत अटाली (जিला फरीदाबाद) के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। नायक संदीप ने 19 फरवरी, 2019 को जम्मू और कश्मीर के पुलवामा में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया था।

नियमों और शतों के अनुसार करेंगे, जो हरियाणा गौ सेवा आयोग या पशुपालन विभाग, हरियाणा द्वारा लगाए जा सकते हैं। 2025-2028 की अवधि के लिए हरियाणा एआई विकास परियोजना (एचएआईडीपी) को मंजूरी दी गई, जिस पर 474.39 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मंत्रिमंडल ने बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक विशेष प्रयोजन संस्था के गठन को भी मंजूरी दी। इसमें विश्व बैंक और हरियाणा सरकार के बीच 70:30 का वित्त पीषण अमुपात है। इसके लिए गुस्प्राम में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर (जीएआईसी) और पंचकूला में एडवांस्ड ह्ररियाणा कंप्यूटिंग फैसिलिटी बनेगा। परियोजना एआई, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस में 50,000 से अधिक पेशेवरों के लिए विकास और कार्यबल कौशल परिवर्तन पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। एसपीवी एक गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में काम करेगी, इसके अध्यक्ष सीएम के मुख्य प्रधान सचिव होंगे।

भारकर न्यूज्ञ चंडीगढ़

सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सोमवार को कई फैसले लिए गए। नीति से सामाजिक-आर्थिक मानदंडों और अनुभव के सभी संदर्भों को हटा दिया गया है। यह निर्णय भारत व विदेश दोनों में, निजी क्षेत्रों में एचकेआरएनएल के माध्यम से की जाने वाली कर्मियों की तैनाती पर भी लागू होगी। निगम राज्य में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पंजीकृत आवेदकों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। अब एचकेआरएनएल में लेक्ल-1 जॉब रोल के लिए अधिकतम आयु सीमा 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई है, जो ग्रुप डी कर्मचारियों के बराबर है। आरक्षण रोस्टर जॉब रोल के बजाय राज्य स्तर पर इंडेंट वाइज व नौकरी के स्तर के अनुसार तैयार किया जाएगा। अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए सक्षम प्राधिकारी अब हरियाणा के मुख्य सचिव में) होंगे। (एचआरडी एचकेआरएनएल द्वारा लगाए जुर्माने से संबंधित प्रावधान हटा दिया है। नई गौशालाओं की भूमि की खरीद या बिक्री के लिए डिडिंग दस्तावेजों पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क माफ: राज्य में नई गौशाला के लिए भूमि की खरीद या बिक्री के लिए डीड दस्तावेजों पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क को माफ करने को स्वीकृति प्रदान की गई। पंजीकृत गौशाला, सोसायटी, ट्रस्ट गौशाला, सोसायटी, ट्रस्ट के किसी भी सदस्य के व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से काम नहीं करेगा। पंजीकृत गौशाला, सोसायटी, ट्रस्ट अपना काम ऐसे

S. No.	Parameter	Maximum Score
(i)	Weightage on the basis of Annual family income of the candidate as verified in the family information data reported by the Haryana Parivar Pehchan Authority (HPPA), which shall be taken as conclusive proof in terms of Selection 6(2) of the Act.	40 Points
(ii)	Weightage of Age of the Candidate as verified in the family information data reported by Haryana Parivar Pehchan Authority (HPPA), which shall be taken as conclusive proof in terms of Selection 6(2) of the Act.	10 Points
(iii)	Skill qualification beyond the essential qualification (for detailed provision see Para (iii) below).	5 Points
(iii) a	Additional Higher qualification above basic Qualification for that Job Roles/Job activity.	5 Points
(iv)	Weightage of Socio-economic criteria (for detailed provision see Para (iv) below).	10 Points
(v)	Weightage of Common Eligibility Test (CET) (for detailed provision see Para (v) below).	10 Points
(vi)	Ease of deployment (for detailed provision see Para (vi) below)	10 points
(vii)	Pre- State Government Experience (for detailed provision see Para (vii) below).	10 Points
	Total	100 Points

Para (i) Annual Family Income - 40 Points

Weightage of up to 40 points shall be admissible to a candidate as per annual family income from all sources of the family:

Sr. No.	Annual income of family from all sources	Maximum Score
1.	Up to Rs. 1,00,000	40 points
2.	From Rs. 1,00,001 to Rs. 1,80,000	30 points
3.	From Rs. 1,80,001 to Rs. 3,00,000	20 points
4.	From Rs. 3,00,001 to Rs. 6,00,000	10 points

Visit Website "SarkariJob.in"

4

Para (ii) Age of candidate - 10 Points

Weightage up to 10 points shall be admissible to the candidate keeping in view his age at the time of recommendation for a job role which is as under:

Sr. No.	Age of candidate	Maximum Score
1.	From 24 to 36 years	10
2.	From 36 to 42 years	5

. 1

Para (iii) Skill Qualification/Higher Qualification — 5 points/5 points

Weightage of maximum 5 points shall be admissible to a candidate having skill certificate from NCVT/ SCVT/ SVSU University/ Recognized ITIs only for relevant job roles/ Job Activities.

The weightage of 5 points shall be admissible to a candidate having additional higher qualification above basic qualification in the same line. However minimum higher qualification shall be 8th pass.

Para (iv) Socio-economic criterion — 10 points

Weightage of 10 points shall be admissible to the candidate based on the following criteria-If the applicant is-

- Orphan 10 points (To be given to candidates upto 25 years of age).
- II. Widow 5 points
- III. Fatherless Candidates:
 - a) Candidate's father had died before attaining age of 42 years 5 points
 - b) Candidate's father had died before the applicant had attained the age of 12 years — 5 points

Para (v) Common Eligibility Test - 10 points

Weightage of 10 marks shall be admissible to a candidate who has successfully cleared Common Eligibility Test (CET).

Para (vi) Ease of deployment — 10 points

YB

1.7

.

Weightage of up to 10 points shall be admissible to a candidate who is resident of the same Block/ Municipal Corporation and 5 points shall be admissible to Adjoining Block/ Municipal Corporation for which the job has been notified. Every Municipal Corporation will be taken as separate Block and Municipal Committee/ Municipal Council will be taken as part of Block.

Sr. No.	Ease of deployment of candidate	Maximum Score
1.	Same Block/ Municipal Corporation as per PPP	10 Points
2.	Adjoining Block/ Municipal Corporation as per PPP	05 Points

5

Para (vii) Pre- State Government Experience - 10 points

Additional weightage of 10 points shall be admissible to a candidate having experience of working with any Department/ Board/ University/ Public Sector Undertaking/ Mission/ Authority etc. under the control of Haryana Government. Weightage of 1 point for experience of each year or part thereof with maximum weightage of 10 points shall be admissible and weightage of 0.5 points for each of the period more than six months and less than one year.

each of the period more than six months and less than one year. Job.in"

Note 1: Offices of Haryana Government in Chandigarh to be considered at par with district Panchkula. Offices of Haryana Government in New Delhi to be considered at par with district Gurugram, Faridabad, Sonipat and Jhajjar.

- Note 2: In case two or more candidates tie at the same score, than the tie-breaking process will be in the following order:-
 - Age of the candidates in days will be considered for tie breaking and candidates of higher age will be given preference.
 - If age of also same, than merit list will be prepared as per name in English Alphabetical order.
- Note 3: The Board of Directors of HKRN, shall henceforth, from the date of publication of this notification, be authorized to change the scoring parameters in Clause 8.8 of the Deployment of Contractual Persons Policy, 2022.